

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

वित्तीय वर्ष 2012-13

कार्यक्रम का नाम: - दवा भण्डार का निर्माण।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष:- Construction of Drug Ware House.

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या: - B: 5.6.a

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5-10 वाक्य अधिकतम): - सभी 38 जिलों में दवा भण्डार हेतु भवन की आवश्यकता है। "यूरोपियन कमिशन" अन्तर्गत 23 जिलों में भवन निर्माण @रु०-31,74,300/- की दर से स्वीकृत हुआ था। बक्सर, गया एवं सहरसा जिला को छोड़कर शेष 20 जिलों में भवन निर्माण हो चुके हैं। उपरोक्त तीन जिलों में से सहरसा में पूर्व की राशि रु०-31,74,300/- उपलब्ध है। गया जिला द्वारा राशि राज्य स्वास्थ्य समिति को वापस की गयी है। बक्सर जिला के राशि की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन भवन निर्माण विभाग द्वारा रु०-47,27,000/- का उनके पत्रांक 7264, दिनांक-05.08.2011 द्वारा दिया गया है। इसके आलोक में अन्तर की राशि @ रु०-15,52,700/- (47,27,000 - 31,74,300) X 3 यानि रु०-46,58,000/- की स्वीकृति पूरक पी०आई०पी० में प्राप्त हुआ है जिसे उक्त तीन जिलों को कर्णांकित किया जा रहा है।

शेष 15 जिलों में भवन निर्माण की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी है जिसका निर्माण कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम द्वारा कराया जा रहा है।


इकाई राशि (रु० में) : - 15,52,667/- (पन्द्रह लाख बावन हजार छः सौ सरसठ मात्र)

वित्तीय दिशा निर्देश : -जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति दवा भण्डार के भवन का निर्माण "स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन" (Local Area Engineering Organisation) से करा सकते हैं। अगर किसी जिला में यह संगठन कार्यरत नहीं हो तो वे किसी भी अभियंत्रण संगठन से भवन निर्माण कार्य करा सकते हैं। चयनित विभाग/निगम/संगठन से विस्तृत तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार वे प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते हैं। निर्माण कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य में सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, वित्तीय दिशा निर्देशन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम:- श्री आर० बी० पी० यादव, भ०प्र०से० (से०नि०)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : - 9470003009 / 0612-3263162



S. Kumar



